न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00182 (33/2018)

कालूखां पुत्र स्व0 सैय्यद खां उर्फ सैद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ, राजस्थान।

—अपीलार्थी

बनाम

1. मंजूरा पत्नी सैय्यद खां उर्फ सैद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ, राजस्थान।
2. हजूरा पुत्री सैय्यद खां उर्फ सैद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ, राजस्थान।
3. बरकत अली
4. इमामबक्श स्व0
5. नूर हसन

पत्नी सैय्यद खां उर्फ सैद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ, राजस्थान।

6. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ,
आदेश दिनांक 25.01.2018, प्र. सं. 299/2017
अनवान कालूखां बनाम मंजूरा आदि

उपस्थितिः—

श्री अनिल कुमार शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री महेन्द्र सिंह सन्धू अभिभाषक रेस्पोडेंट
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, राजकीय अभिभाषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सैय्यद की पहली पत्नी शरीफा का इकलौता वारिस है रेस्पोडेंट जो कि पिता की दूसरी पत्नी की संतान है ने एकराय होकर मिलीभगत कर प्रश्नगत वसीयत निष्पादित करवाई है जो अवैध व शुन्य होने के कारण अपीलाण्ट के अधिकारों पर निष्प्रभावी है। इस तथ्य की तरफ अधीनस्थ न्यायलाय ने ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत आराजी शैय्यद खां की स्व0 अर्जित सम्पति थी जिसकी अपने जीवनकाल में दिनांक 31.08.2017 को वसीयत की गई है जो निरस्त नहीं है। मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पति का प्रावधान लागू नहीं हाते हैं। प्रश्नगत वसीयत बाबात तहसीलदार हनुमानगढ के यहां कार्यवाही जैरकार है जसमें नामांतरण दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2016 (एससी) पेज 570, एआईआर 1970 पेज 13, एआईआर 1966 पेज 405, आरआरडी 2010 पेज 96, आरआरटी 2016 (2) पेज 1084, आरआरडी 2016 पेज नं. 580 के नयायिक दृष्टान्त पेश किये।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में यह माना है कि प्रश्नगत भूमि की शैय्यद खां की सव0 अर्जित सम्पति थी जिसका दिनांक 31.08.2017 को वसीयत अपने जीवनकाल में की गई है जो अभी प्रभावी है। अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि शैय्यद खां की स्व0 अर्जित भूमि नहीं थी तथा अपीलाण्ट सैय्यद खां की पहली पत्नी का का इकलौता वारिस होने के कारण उसका इस भूमि पर हक हिस्सा है। रेस्पो0 सैय्यद की दूसरी पत्नी की संतान है। वरवक्त वसीयत सैय्यद अपने होशो हवास में नहीं था। वसीयत दिनांक 31.08.2017 को की गई थी एवं दिनांक 1.09.2017 को सैय्यद की मृत्यु हो गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस इन बिन्दूओं पर विवेचन नहीं किया है जो किया जाना अपेक्षित है। अतः अपील अपीलाण्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 07.03.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र धारा 212 आरटीएक्ट में प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि चक 7 डीएलपी में 10.0950 है0 में से अपीलाण्ट के पिता के नाम 2.119 है0 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि है जिसमें अपीलाण्ट का जन्म से हक हिस्सा है। अपीलाण्ट मुताबिक हक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है यदि अप्रार्थीगण/रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट के हक व हिस्से को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया तो अपीलाण्ट के अधिकारों का हनन होगा। प्रार्थी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट को अपने नाम इन्तकाल दर्ज करवा कर अन्य रहन बेय व मुन्तकिल नहीं करने से पाबंद करने का अनुतोष मांगा।

2. अप्रार्थी/रेस्पोडेण्ट्स ने जवाब पेश किया कि प्रश्नगत भूमि सैद मोहम्मद की स्वअर्जित भूमि थी जिसकी वसीयत उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा से अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 के पक्ष में निष्पादित करवा दी है। वसीयत के आधार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश पारित किया जा चुका हैं। अपीलाण्ट किसी प्रकार का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट का धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल खारिजी के है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का पर्चा खतौनी 7 डीएलपी व अन्य तथ्यों पर गौर नहीं किया गया है। प्रश्नगत रकबा पैतृक कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी/अपीलांट का जन्मतः पैतृक हक हिस्सा निहित है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा फर्जकारी है जो कि दिनांक 31.08.2017 को निष्पादित होना दर्शाया है जबकि अपीलाण्ट के पिता दिनांक 01.09.2017 कोदेहान्त हो गया था अपीलाण्ट के पिता उक्त वसीयत अपने होशो हवास में नहीं थे। से लम्बे से समय से बीमार थे सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। अपीलाण्ट अपने पिता की सम्पति में अपना हक हिस्सा की घोषणा करवा कर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। अपीलाण्ट अपने पिता की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलधीन निर्णय दिनांक 25.01.2018 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.3.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/3/22

(करतारसिंह पूनिया)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:01 IST
Reason: SelfAttested